भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2678
उत्तर देने की तारीख 09 मार्च, 2026
18 फाल्गुन, 1947 (शक)

छठी अनुसूची वाले असम के जिलों में खेल अवसंरचना

2678. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी अनुसूची वाले असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में मौजूदा खेल अवसंरचना का कोई आकलन किया है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता के अंतर्गत उक्त जिलों में स्वीकृत, पूर्ण और चल रही खेल अवसंरचना परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन पहाड़ी जिलों की जनजातीय युवा जनसंख्या और खेल क्षमता को देखते हुए बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल टर्फ और आवासीय खेल अकादमियां स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या छठी अनुसूची या भौगोलिक रूप से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के लिए कोई विशेष वित्तीय आवंटन या मानदंडों में छूट प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण मौजूदा खेल अवसंरचनाओं का आकलन, बहुउद्देश्यीय इनडोर स्टेडियमों, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल टर्फ और आवासीय खेल अकादमियों की स्थापना, पहाड़ी जिलों में जनजातीय युवाओं की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए खेल क्षमता को बढ़ावा देना, छठी अनुसूची अथवा भौगोलिक रूप से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए विशेष वित्तीय आवंटन या मानदंडों में छूट प्रदान करना सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार उनके

महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय असम राज्य सहित देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों को क्रियान्वित करता है:

i. खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
iii. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोच को नकद प्रोत्साहन;
iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
v. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
vi. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
vii. राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
viii. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; और
ix. राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), जिनके अंतर्गत खेल अवसंरचनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, मांग-आधारित स्कीमें हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के तहत निधियों की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाता है।

इस मंत्रालय ने असम राज्य में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत नौ खेल अवसंरचना परियोजनाओं और एनएसडीएफ के अंतर्गत तीन खेल अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इनका विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत, भौगोलिक रूप से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके और इन क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा दिया जा सके। तथापि, स्कीम के अंतर्गत प्रति जिला एक खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) का मानक प्रावधान है, सरकार ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए इस मानक में छूट दी है, जिससे प्रति जिला दो खेलो इंडिया केंद्रों की अनुमति दी गई है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षण और अवसंरचनाओं की अधिक उपलब्धता और उनका व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

*****